आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
पी0डी0 वाद सं0– 01/2015–16
आवेदिका– तुलसी पहाडिया
बनाम
विपक्षी– बबलु मालतो (प्रधान)
मौजा–भतभंगा पहाड़
आदेश

26-7-19

आवदेक तुलसी पहाडिया ने दिनांक 28.01.2016 को एक आवेदन देकर मौजा भंतभंगा पहाड में ग्राम प्रधान बबलु मालतो पे0–हरिशंकर पहाडिया को प्रधानी पद से हटाने के संबंध में आवेदन संबंधित किये है। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आज विपक्षी स्वयं उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित। फलस्वरुप विपक्षी को एक पक्षीय सुना। विपक्षीगण ने संक्षिप्त में कहा कि प्रधानी बहाली का केस श्रीमान के न्यायालय में चला, उसी समय से आवेदक तुलसी पहाडिया से मतभेद है। चूँकि तुलसी पहाडिया जुएल मालतो को प्रधान बनाना चाहते थे, परन्तु श्रीमान के जाँचोपरांत उसके दावे को निरस्त करते हुए विपक्षी बबलु मालतो को प्रधान नियुक्त कर पट्टा निर्गत किया गया है। तभी से आवेदक विपक्षी के विरुद्ध गलत सलत आरोप लगा कर शिकायत करते चले आ रहे है। आवेदक ने विपक्षी बबलु मालतो पर यह आरोप भी लगाए है कि आवेदक का घरेलु सामान अनैतिक रुप से ले लिया है। जो सरासर गलत है। तुलसी पहाडिया ने अपने हिस्से का घरेलु सामान स्वेच्छा से विभिन्न व्यक्तियो के पास बिक्री किये है। आवेदक तुलसी पहाडिया एवं जुएल मालतो बिचौलिया, ठिकेदार एवं बैंक का दलाली करते है। पहाडिया लोगो का विभिन्न योजना का रुपया बैंक के कर्मचारी की मिली भगत से निकलवाता है, जिसमें बैंक के कर्मचारी एवं आवेदक के द्वारा भोला–भाला पहाडिया को बहला फुसला कर आधा रुपया हड़प लेते है। जब से जुएल मालतो प्रधानी पद से हारे है, तब से ही आवेदक तुलसी पहाडिया के मन में क्रोध एवं द्वेष तथा बदले की भावना रखते है, एवं बदले की भावना से ही बबलु मालतो प्रधान को बार–बार झूठा केस एवं मुकदमा के में फसा रहे है। विपक्षी ने कहा कि आवेदक तुलसी पहाडिया का विपक्षी बबलु मालतो से मुख्यता घरेलु विवाद, अर्थात टाली किवाड तथा जुएल मालतो का प्रधानी बहाली आवेदन को निरस्त किये जाने को लेकर है, जबकि विपक्षी प्रधान बबलु मालतो का ग्रामीण 16 आना रैयत के साथ अच्छा संबंध है। 16 आना रैयतों की ओर से कभी भी प्रधान बरखास्तगी का आवेदन दाखिल नही किय गया है। जुएल मालतो ने प्रधान बहाली वाद संख्या 02/02–03 बबलु मालतो बनाम 16 आना रैयत में जुएल मालतो ने उपायुक्त, साहेबंज के न्यायालय में आर0एम0 ए0 वाद संख्या 41/2003–04 जुएल मालतो –बनाम– बबलु मालतो दायर किये थें, जिसका अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज किया गया है।

अतः विपक्षी बबलु मालतो प्रधान ने आवेदक के द्वारा दायर प्रधान बरखास्तगी वाद आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किये है।

आवेदक तुलसी पहाडिया ने अपने आवेदन के माध्यम से कहा है कि बबलु मालतो जब से प्रधान का पद संभाला है, तब से मुझ जैसे गरीब तथा भोले–भाले ग्रामीणों को ठगने तथा शारीरीक तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित करने का काम किया है। जिसके विषय में ग्रामीणों द्वारा कई बार वरीय पदाधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराया गया है, परन्तु दलालो एवं बिचौलिया किस्म के लोगो के पैरवी से हर बार बच निकलता है। वाद में ग्रामीणों

Scanned with CamScanner

को बुरी तरह सताने एवं विभिन्न तरह से बदला लेने का काम करते है। बबलु मालतो के द्वारा विगत कुछ माह पूर्व मेरे पैतृक मकान का टाली, किवाड एवं खिड़की आदि तकरीबन लोखों रुपये का घरेलु सामान अनैतिक रुप से ले गये है। टाली निकालने के वजह से मकान का दिवाल छतिग्रस्त होकर खण्डरनुमा में तबदील हो गया है। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज कराया था। इसी आवेदन के आलोक में तालझारी थाना में पंचायती हुआ था, सिजमें 1.35 लाख रुपये क्षतिपूर्ति भरपाई विपक्षी प्रधान को देने के लिए कहा गया था। परन्तु पंचायतो के आदेश को अवहेलना करते हुए आज तक क्षतिपूर्ति राशि नही दिया है। उल्टा मेंरे साथ झगडा–झंझट, गाली–गलौज एवं मार पीट करता है, साथ ही मुझे झुठा केस में फसाने का का काम किया है। इस प्रकार विपक्षी बबलु मालतो प्रधान ग्रामीणों पर अत्याचार करते रहते है।

अतः आवेदक तुलसी पहाडिया ने गरीब गुरबा की भावनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बबलु मालतो प्रधान को बर्खास्त करने का अनुरोध किये है।

अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने पत्र सं0 180/रा0, दिनांक 15.04.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा भतभंगा पहाड थाना न0 09 का बबलु मालतो बहाल प्रधान है। स्थनीय जाँचोपरांत ग्रामीणों से पूछ–ताछ करने पर पता चला कि प्रधानी पद को लेकर कुछ लोगों से पूर्व से ही विवाद चलता आ रहा है। वर्त्तमान बहाल प्रधान बबलु मालतो अपना कार्य सही रुप से करता आ रहा है। बबलु मालतो प्रधान द्वारा माल गुजारी भी सही समय पर जमा किया जाता है।

स्थानीय पूछ–ताछ करने पर बताया गया कि तुलसी पहाडिया गॉव में नही रहता है, ग्राम प्रधान बबलु मालतो ने बताया कि तुलसी पहाडिया की पत्नी भी गॉव में नही रहती है। वही अपनी बेटी के यहॉ पर रहती है आवेदक तुलसी पहाडिया बबलु मालतो प्रधान पर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा मेरे पैतृक मकान का टाली, किवाड़, खिडकी वो वेश किमती सामान अनैतिक रुप से बबलु मालतो प्रधान द्वारा ले गया है, इस संबंध मे पूर्व में तुलसी पहाडिया द्वारा दाखिल अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल में जन शिकायत कोषांग के पत्रांक 63/आ0ज0शि0को0 का जाँच प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में दिनांक 30.05.2014 को जमा किया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई कागजात दाखिल नही किया है।

विपक्षीगण बबलु मालतो ने अपने दावे के समर्थन में प्रधानी पट्टा, आर0एम0 केस न041/03–04 जुएल मालतो बनाम बबलु मालतो में दिनांक 10.10.2008 का आदेश, अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के प्रधान बहाली वाद संख्या 02/2002–03 बबलु मालतो बनाम 16 आना रैयत का आदेश एवं अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 329/रा0 दिनांक 18.12.2002 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति दाखिल किया है।

विपक्षी को सुनने एवं आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन एवं विपक्षी के द्वारा समर्पित कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अपना पक्ष रखने के लिए द्वितीय पक्ष के प्रधान नियुक्त होने की प्रक्रिया में कोई भी Irregularity नही दिखाई। आवेदक यह भी सिद्ध करने में असमर्थ रहे है कि अधिकांश 16 आना रैयत विपक्षी के आचरण में असंतुष्ट है। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद व्यक्तिगत है।

उपरोक्त तमाम् स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरुपेन विचारोपरांत आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी,

Scanned with CamScanner